उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

संख्या-16 /2021/179 /92-2-21-106जांच्/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 25 फरवरी 2021

कार्यालय ज्ञाप

जनपद-फैजाबाद में वर्ष 2012-13 में पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत निर्मित कराये गये कतिपय मार्गो के निर्माण कार्य में कूटरचित एवं अनियमित ढंग से भुगतान कर शासकीय क्षति पहुंचाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-171/2018/2853/92-2-18-106जांच/2017 दिनांक 29-11-2018 द्वारा श्री आर0के0 वर्मा, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप पत्र देते हुऐ उनके विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ के पत्र सं0-5254/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/अधि0अभि0/2019-20 दिनांक 03-02-2020 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित 03 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित नही पाया गया है। तत्क्रम में शासन के पत्र दि0 18.06.2020 एवं 02.07.2020 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति के संबंध में कार्यो के स्टीमेट, फाइनल एम0बी0, भुगतान आदि से संबंधित समस्त अभिलेखो/पत्रावलियों के साथ विचार-विमर्श हेतु दिनांक 23.06.2020 को पूर्वान्ह 11.00 बजे सचिव भवन के प्रथम तल पर स्थित विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कार्यालय कक्ष सं0-9 में बैठक आहूत किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अधीक्षण अभियंता, परि0-लखनऊ व अधीक्षण अभियंता, परि0-अयोध्या की संयुक्त जॉच आख्या दिनांक 26.06.2020 व 10.07.2020 में अंकित अवशेष धनराशि रू0 4.140 लाख अभी तक राजकीय कोषागार में जमा न कराये जाने के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 22.07.2020 द्वारा वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ से प्रश्नगत शासकीय क्षति के संबंध में संस्तुति सहित आख्या/ अभिमत उपलब्ध कराये जाने हेतु उन्हें निर्देशित किया गया। वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-134/ग्रा0अ0वि0/पू0वि0नि0/अयोध्या/जांच/2019-20 दिनांक 31.07.2020 द्वारा आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी जिसमें प्रश्नगत प्रकरण में अंकित अवशेष धनराशि रू0 4.140 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 4.17308 लाख राजकीय कोषागार में जमा किये जाने हेतु पायी गयी। शासन के पत्र दिनांक 22.09.2020 द्वारा धनराशि रू0 4.17308 लाख को तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने हेतु अधीक्षण अभियंता, परि0-अयोध्या व अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-अयोध्या को निर्देशित किया गया। उक्त धनराशि को अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-अयोध्या द्वारा चालान सं0-40070013 दिनांक 29.10.2020 के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा कर दिया गया।

3- अत: अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 03 आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोपो को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जॉच अधिकारी द्वारा प्रमाणित नही पाया गया। अत: श्री आर0के0 वर्मा, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-171/2018/2853/ 92-2-18-106जांच/2017 दि0 29-11-2018 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-16/2021/179 /(1)/92-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
2- श्री आर0के0 वर्मा, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।